न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क्र0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	41/24	2024/102	04.12.2024	सरकार बनाम मनोज	26.02.2026	1 लगायत4

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 41/2024 (2024/102)

उनवान प्रकरण

1. वेद प्रकाश पूर्विया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर। –आवेदक

बनाम

1. . मनोज कुमार पुत्र श्री तेज प्रकाश वैष्णव (विक्रेता) मैसर्स होटल आगमन यूनिटी प्लाजा, स्टेशन रोड संगापुर सिटी निवासी संजय कॉलोनी गंगापुर सिटी। 322201
2. . अवनीश कुमार गुप्ता पुत्र श्री विष्णु लाल गुप्ता (प्रोपराईटर) मैसर्स होटल आगमन, यूनिटी प्लाजा स्टेशन रोड़ गंगापुर सिटी निवासी विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी, पुरानी अनाज मंडी, गगापुर सिटी। 322201। –अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के अन्तर्गत दिनांक 31.05.2024 को 02:00 पी. एम पर मैसर्स होटल आगमन, यूनिटी प्लाजा, स्टेशन रोड, गंगापुर सिटी पर पहुंचा। मौके पर होटल/संस्थान निरीक्षण करने पर पाया कि सब्जी बनाने में प्रयुक्त किये जा रहे **Used Oil Refined Soyabean Oil] from Hot Vate** मिलावट का अंदेशा होने पर **Used Oil Refined Soyabean Oil] from Hot Vat** 1600 एमएल वजनी खरीदकर उसकी कीमत 160/– रुपये विक्रेता श्री मनोज कुमार को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री प्रकाश के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मनोज कुमार ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री मनोज कुमार को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए एवं फर्द रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1600 एमएल **Used Oil Refined Soyabean Oil from Hot Vat** की विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त [illegible] Used Oil Refined Soyabean Oil from **Hot Vat** को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर डालकर [illegible] ढक्कन लगाकर ऐयरटाइंट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और [illegible] अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड [illegible] 3308 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाह के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना [illegible] अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एवं 3308 नियमानुसार बारों नमूना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:22 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारो नमूना मागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म न छ की छ प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का बौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/603 दिनाक 01 07:2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जाच रिर्पोट स. एलएस/2349/एक्ट/2024/2245 दिनाक 13.06 2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Used Oil Refined Soyabean Oil] from Hot Vat] Unsafe** होना पाया गया है। जाँच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत धारा 2.4.6(1) के तहत नमूनों की जाँच से असन्तुष्ट होते हुए। नियामानुसार नियत्त अवधि में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के समक्ष निर्धारित प्रपत्र 8 में नमूनों की पुनः जाँच हेतु आवेदन कर अपील की जिस अपील को स्वीकार करते हुए अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) द्वारा लिये गये नमूनों के द्वितीय भाग को वास्ते जॉच हेतु रेफरल लेब में भिजवाया गया एवं प्राप्त हुई रेफरल लेब मैसूर की जाँच सर्टि० सं० **1119F/FSSA/**2024 दिनांक 23.10.2024 खाद्य पदार्थ **Used Oil Refined Soyabean Oil] from Hot Vat- Substandard** होना पाया गया।

अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ **Used Oil Refined Soyabean Oil] from Hot Vat- Substandard** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ **Used Oil Refined Soyabean Oil] from Hot Vat- Substandard** प्रकृति का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.04.20 11:00:22 IST
Reason: Self Attested

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विक्रय का लाईसेंस है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

है। आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रेफरल लेब मैसूर की जाँच सर्टि० सं० **1119F/FSSA/**2024 दिनांक 23.10.2024 निम्नानुसार है:–

FORM XI
[See Rule 2.4.6 (3)]

Certificate of analysis by the Referral Food Laboratory, Mysore
(Food Safety and Analytical Quality Control Laboratory C/O Central Food Technological Research Institute, Mysore–570 013)

Certificate No: 1119F/FSSA/2024

Certified that the sample, bearing number CODE: H-3308 purporting to be a sample of USED OIL REFINED SOYABEAN OIL FROM HOTVET (LOOSE) was received on 02.09.2024 with memorandum No. 181 dated 28.08.2024 from SH. DR. DHARAM SINGH MEENA, DESIGNATED OFFICER CUM CHIEF MEDICAL AND HEALTH OFFICER, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN – 322 001 for analysis. The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: Intact and unbroken.

I, Dr. Giridhar Parvatam found the sample purporting to be Used Cooking Oil falling under the provisions of Food Safety and Standards Act 2006 and its regulations thereof. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed during 03.09.2024 to 27.09.2024 and the result of its analysis is given below:

Analysis Report:
(i) **Sample Description:** Packed in a poly bottle without label declaration.
(ii) **Physical Appearance:** Light brown in color, cloudy in appearance.
(iii) **Label:** Nil

SL No	Quality Characteristics	Method of Test used	Result	Prescribed standards as per FSS (Prohibition and Restriction on sales) Regulations 2011 As per Regulation No. 2.3.15(8)
1.	Total Polar Compound,% by wt.	FSSAI 02.051:2021	27.5	Not more than 25 (for Used Vegetable oil)

Opinion:
And I am of the opinion that the sample is "Substandard" as defined under Section 3(1)(zx) of Food Safety and Standards Act, 2006 as it does not conform to the standards laid down for Used Cooking Oil under the provisions of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulation 2011 thereof. In that:

a) Total Polar Compound content exceeds the maximum permissible limit.

Place: MYSORE
Date: 23.10.2024

OFFICE OF THE DIRECTOR REFERRAL FOOD LABORATORY निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर-20 CSIR-CFTRI, MYSORE-20

(Giridhar Parvatam)
Director
Referral Food Laboratory, Mysore.
निदेशक
Director
निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला
Referral Food Laboratory
मैसूर/MYSORE-570 020

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.04.20 11:03:22 IST
Reason: Self-Attested

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Used Oil Refined Soyabean Oil from Hot Vat- Substandard** प्रकृति का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु0नं0 41/24 (2024/102) उनवान सरकार बनाम मनोज

अतः अभियुक्तगण सं0 1 व 2 को खाद्य पदार्थ **Used Oil Refined Soyabean Oil from Hot Vat- Substandard** प्रकृति का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत संयुक्त रूप से जुर्माना राशि 10,000 रूपये (अक्षरे– दस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:22 IST
Reason: SelfAttested